Dainik Navjoyti, Ajmer :02-09-2017

RSWM Limited
an LNJ Bhilwara Group Company

आर एस डब्लू एम लिमिटेड

सीआईएन: L17115RJ1960PLC008216
पंजीकृत कार्यालयः खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा-311021, राजस्थान
फोन: +91-1483-223144 to 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479
कॉर्पोरेट कार्यालय : भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.)
फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841
ईमेल: rswm.investor@lnjbhilwara.com; वेबसाइट: http://www.rswm.in

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 56वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 27 सितम्बर, 2017 को 11:30 बजे पूर्वाह्न 56वीं एजीएम की सूचना में विदित सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के निष्पादन हेतु कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय, खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा - 311021, राजस्थान में आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को जिनका ई-मेल पता कम्पनी अथवा डिपोज़िटरी पार्टिसिपैंट(ओं) के साथ पंजीकृत है, भेज दी गई हैं। एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति सभी अन्य सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत माध्यम से भेजी जा चुकी हैं। कथित सूचना का प्रेषण, इलेक्ट्रॉनिक तथा भौतिक दोनों माध्यम से, 1 सितम्बर, 2017 को पूर्ण कर लिया गया है। एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट **www.rswm.in** एवं एनएसडीएल की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है और अवतरित की जा सकती है। वे सदस्य जिन्हें सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, वे उपरोक्त वेबसाइट से अवतरित कर सकते हैं अथवा इसकी प्रति हेतु कम्पनी से अनुरोध कर सकते हैं।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर पुस्तकें बृहस्पतिवार, 21 सितंबर 2017 से बुधवार, 27 सितंबर 2017 (दोनों दिन शामिल) तक एजीएम तथा 125%, अर्थात् ₹10 प्रत्येक के समता अंश पर ₹12.50, के समता लाभांश की अदायगी के उद्देश्य से बंद रहेगा। इसके अतिरिक्त, 88,54,111 वैकल्पिक परिवर्तनीय शोध्य अधिमान अंश (ओसीआरपीएस) जो रूपांतरण के लिए चुना गया था, पर अधिमान लाभांश 1 अप्रैल 2016 से 10 नवंबर 2016 की अवधि हेतु प्रो–राटा आधार पर उन सभी ओसीआरपीएस धारकों को भुगतान किया जाएगा जिनका नाम कंपनी के ओसीआरपीएस रजिस्टर में 10 नवंबर 2016 को दर्शित हो। इसी प्रकार, 48,11,324 ओसीआरपीएस, जिनका रूपांतरण के लिए नहीं चुना गया था और बाद में रिडीम किए गए थे, पर अधिमान लाभांश 1 अप्रैल 2016 से 28 फरवरी 2017 तक की अवधि हेतु उन ओसीआरपीएस धारकों को किया जाएगा जिनका नाम कंपनी के ओसीआरपीएस रजिस्टर में 28 फरवरी 2017 को दर्शित हो। समता और अधिमान अंश(ओं) पर लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, का भुगतान 30 दिनों के अन्दर किया जाएगा।

कम्पनी हर्ष के साथ यह भी सूचित करती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबधन एवं संचालन) नियम, 2014, के नियम 20 जो कि कम्पनी (प्रबधन एवं संचालन) संशोधित नियम, 2015 ('संशोधन नियम, 2015') के द्वारा प्रतिस्थापित एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कम्पनी सदस्यों को सूचना में निहित सभी प्रस्तावों पर नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रावधानित रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से, इलेक्ट्रानिक तौर पर मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 24 सितम्बर, 2017 को प्रातः 9:00 बजे आरम्भ होगी तथा मंगलवार, 26 सितम्बर, 2017 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति मंगलवार, 26 सितम्बर 2017 को संध्या 5:00 बजे के पश्चात् नहीं दी जाएगी। उसके पश्चात् ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा वोटिंग हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

अंशधारक द्वारा एक प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात् अंशधारक को उन्हें बदलने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के पश्चात् परन्तु कट ऑफ तिथि अर्थात् 20 सितम्बर, 2017 के पूर्व कम्पनी का सदस्य बनता है तो वह एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को उनके ई-मेल पतेः **admin@mcsregistrars.com** अथवा **evoting@nsdl.co.in** पर ई-मेल भेज सकते है। वे सदस्य जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान नहीं कर रहे हों, वे वार्षिक साधारण बैठक में मतपत्र द्वारा मतदान कर सकते हैं। वे सदस्य जिन्होंने बैठक के पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया हो वे भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं परन्तु उन्हें पुनः मतदान का अधिकार नहीं होगा।

वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉज़िटरीज़ द्वारा अनुरक्षित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में 'कट ऑफ' तिथि अर्थात् 20 सितम्बर 2017 को दर्ज हो मात्र वे रिमोट ई-वोटिंग सुविधा अथवा वार्षिक साधारण बैठक में मतपत्र के माध्यम से मतदान करने हेतु अधिकृत होंगें। रिमोर्ट ई–वोटिंग की प्रक्रिया सूचना में उल्लेखित है। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न हेतु **www.evoting.nsdl.com** पर सदस्यों हेतु उपलब्ध **Frequently Asked Questions (FAQs)** एवं अंशधारकों हेतु ई-वोटिंग युजर मैनुअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा टॉल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते है एवं श्री अमरजीत, वरिष्ठ प्रबधक, एमसीएस शेयर टांसफर एजेंट लिमिटेड से फोनः 011–41406148, 41406149 अथवा ई-मेल **admin@mcsregistrars.com** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक मंडल ने श्री महेश गुप्ता, संव्यवसायिक कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या **FCS 2870**) को एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँच हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है।

बोर्ड के आदेश से

कृते **आर एस डब्लू एम लिमिटेड**

सुरेन्दर गुप्ता

कम्पनी सचिव

एफसीएस–2615

स्थान : नोएडा (उ.प्र.)

दिनांक : 1 सितम्बर, 2017